

Form-1
For linear projects

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. No-238/XIV-14 (2017-2018) दिनांक 03/02/2018

Dated.....

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 0.972 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab)** for construction Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge to Damta (Total Length-24.50 KM) Tehsil Nainbagh (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of in Surasu, Marod, Tator, Nainbagh, Kandi Malli/Talli, Melgarh, Kherad. Villages in Nainbagh Tehsil.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.972 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to annexure.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

क्रमांक सं-12
दिनांक 03/02/2018
क्रमांक सं-14
दिनांक 03/02/2018
क्रमांक सं-1588

Signature

(सोनिका)

(... जिला अधिकारी ...)

Full name and official seal of District Collector

FORM-II

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

No- 238 / XFT-14 (2017-18)

Office of the District Collector Tehri

Dated- 03 / 02 / 2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified the 0.972 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab)** (name of user agency) for Construction of **Row permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge To Damta (Total Length-24.50 KM)** Tehsil Nainbagh (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Nainbagh Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.972 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s). Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....to annexur.....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of Forest Dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processed under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issues by the garm sabha of Silori villages (s) is enclosed as annexure.....to annexure.....
- (d) The discussion decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha Present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.


(सचिव)
जिला अधिकारी
टि.सिगनागढ़वाल

(Full Name of official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights)
Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district,
constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs.
.....(सोनिका)..... I.A.S District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in
which application claiming rights in Block-Nainbagh area measuring 0.972
hect. for Construction of Row permission for laying Optical Fiber Cable
Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Yamuna Bridge To Damta (Total
Length-24.50KM) District-Tehri Garhwal by Vindhya Telelinks
Limited, EPC Division, Industrial area, Mohali (Punjab) Tehsil-Mohali,
Dis.-Punjab forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly
processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no
objection/claims were found to have been made & hence District level
committee recommend the above case for diversion of land for the said
purpose.

Place;...N.E. REC

Dated:...03.07.2018

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector-cum-
Chairman District Level Committee

कार्यालय - जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल
जिलास्तरीय समिति

Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) द्वारा जिला Tehri Garhwal के विकास खण्ड ³² ~~जिला~~ के अन्तर्गत From ~~Yamuna~~ ^{Yamuna} तक 0.922 (24.5 km) है 0 आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत जिला Tehri Garhwal द्वारा गठित जिलास्तरीय की बैठक दिनांक को आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी गण उपस्थित हुए हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1		जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल	
2		प्रभागीय वनाधिकारी	
3	श्री अविनाश सिंह भदौरिया	जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल	
4	श्रीमानसिंह पवार	जिला पंचायत सदस्य	

कार्यालय - उप जिलाधिकारी, धनोली टिहरी गढ़वाल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धनोली, टिहरी गढ़वाल

उपखण्ड धनोली, टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी तथा भद्रीगाड़ रेंज के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-24.50 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0-972 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील - धनोली) की दिनांक 06-01-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

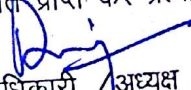
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 06-01-18 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

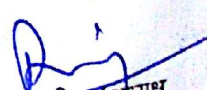
1. श्री मसूरी वन प्रभाग उप जिलाधिकारी नैनवा/धनोली अध्यक्ष।
2. श्री मसूरी वन प्रभाग उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून सदस्य।
3. श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य।
4. श्री विनोद बी0डी0सी0 क्षेत्र नैनवा सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी तथा भद्रीगाड़ रेंज अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-24.50 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्वन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा /ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी तथा भद्रीगाड़ रेंज अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-24.50 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।


 उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति


 उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील..... / जनपद-.....
 प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-24.50 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/ आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित 0.9720 है० वन भूमि /बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

/प्रयोक्ता



तहसीलदार
तहसीलदार
नैजमा
टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
धनोली

वन अधिकार अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- नैनबाग

तहसील- नैनबाग

जिला- टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम-जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW

permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM
)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-

24.50 KM) तकमोटर मार्ग के किनारेऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन

भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telalinks

Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की

अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-नैनबाग द्वारा दिनांक 28-9-2017

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आभेदित वन भूमि के समन्वय

में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम

2003 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि

कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी

आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त

परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं

हो रहा है। किसी भी प्रकार के भ्रम या खेद के अभाव में जमीन पर अधिकार

नैनबाग के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वतन्त्र)

बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telalinks

Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल

फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०

ह०

ह०

ग्राम सचिव

मोहर सहित



ग्राम प्रधान

मोहर सहित

वन अधिकार अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- खैराड

तहसील- नैनवाग

जिला- टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:-जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length- 24.50 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत- खैराड द्वारा दिनांक 28-9-2017.

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- खैराड के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन त्वरुप)

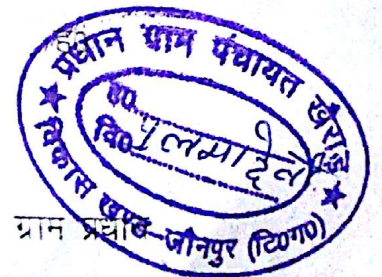
बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०

ह०

ग्राम सचिव

मोहर सहित



मोहर सहित

वन अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- सुरांसू

तहसील- जौनवाग

जिला- टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village (Total Length- 24.50 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत- सुरांसू द्वारा दिनांक 28-9-2019

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2008 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-
.....के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वरूप) बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह० R Kumar

ह०

ह०

ग्राम सचिव R Kumar
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
सुरांसू
विकास खण्ड जौनपुर टि० ग०



वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- टटोर नैनबाग

तहसील- नैनबाग

जिला- टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम-जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length- 24.50 KM) तकमोटर मार्ग के किनारेऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1930 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-टटोर.....द्वारा दिनांक 28-9-2017.

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-..

टटोर.....के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वरूप)

बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1930 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०

ह०

ग्राम सचिव

मोहर सहित



ग्राम प्रधान

मोहर सहित

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- मरोड़

तहसील- नैनवाग

जिला- टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:-जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW

permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM
)From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-

24.50 KM) तकमोटर मार्ग के किनारेऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन

भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks

Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-मरोड़ द्वारा दिनांक 28-9-2017.

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम--

मरोड़ के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है० (वन स्वरूप)

बंजर भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०

ह०

ग्राम सचिव

मोहर सहित



ग्राम प्रधान

मोहर सहित

वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम- काँडी तल्ली
तहसील मोनवाँ
जिला हिंदी गढ़वाल
परियोजना का नाम-

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From -

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित है 0
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत काँडी तल्ली द्वारा दिनांक 28-9-17 को राप-न
ग्राम रापा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निगमित करना हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्तमान के उपरान्त ग्रामरापा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है 0 (वन स्वरूप) बजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर
बिछाने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है 0

है 0

ग्राम सचिव

प्रयोक्ता-एजेन्सी

ग्राम प्रधान

मोहर सहित । ।



वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम मेलगाड
तहसील मोहरी
जिला फिरोज़ी
परियोजना का नाम -

Laying of OFC 44 Line.

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From -

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर कैंबल बिछाने हेतु अपेक्षित। है0
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मेलगाड द्वारा दिनांक 28-9-17 को सम्पन्न
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निर्गत करना हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपरिथत ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्षों के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
क ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित है0 (वन स्वरूप) बजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है0

है0

ग्राम सचिव

प्रयोक्ता एजेन्सी

ग्राम प्रधान

मोहर सहित ।।



वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम- कौडी मल्ली
तहसील नौनवाँग
जिला हिंदी गढ़वाल
परियोजना का नाम-

Laying of OFC 4C Line.

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)
From -

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर कैंबल बिछाने हेतु अपेक्षित। है0
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कौडी मल्ली द्वारा दिनांक 28-9-17 को संपन्न
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निर्गत करना हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपरिष्ठित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सार्वसाम्यता द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.972 है0 (वन स्वरूप) बजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

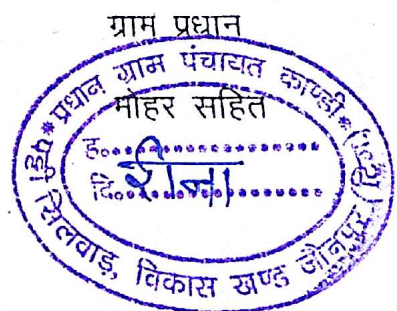
है0

है0

ग्राम सचिव

प्रयोक्ता एजेन्सी

मोहर सहित ।।



वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भटेवाली

तहसील मोहाली

जिला फिरोज़पुर

परियोजना का नाम-

Laying of OFC 4G Line.

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)

From -

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अपेक्षित है।
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA
TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B
MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भटेवाली द्वारा दिनांक 28-9-17 को राप्ता
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति
प्रमाण पत्र निम्नित करना हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के
तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा
कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्राम
वासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

उक्त के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 6.97 है० (वन स्वरूप) बजर भूमि का (संरक्षण)
1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION,
INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाइबर
बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है०

है०

ग्राम सचिव

प्रयोक्ता एजेन्सी

ग्राम प्रधान

मोहर सहित ।

मोहर सहित



दिनांक 28-9-17

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा काँडी मलवी रोड नैनगांव, मरीड, टार खुरान्छु

क्रमांक	ग्राम सभा के उपस्थिति विरुद्ध ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजान सिंह रावत नैनगांव	
2	प्रेमेश सिंह कान्छु नैनगांव	
3	रमेश रावत मरीड	
4	राजेश प्रसाद नौदियाल	
5	सोहन सिंह रावत नैनगांव	
6	सुशील रावत मरीड	
7	सरदार सिंह राणा	
8	रमेश चन्द	
9	मोहन अग्रवाली	
10	दीपक मलवाल	
11	अमित सिंह रावत	
12	रेखा अग्रवाली	
13	दिपनेन्द्र राणा	
14	सरोजिनी नौदियाल	
15	महेशी रावत	
16	पुष्पेन्द्र राणा	
17	हरिन्द्र अग्रवाल	
18	मि. हित सिंह	
19	अरुण सिंह	
20	पान सिंह अग्रवाली	
21	मृगेश रावत	
22	सुरेन्द्र राणा	
23	प्रेमदास चौहान	
24	रीना	
25	मेहिल सिंह	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		